सं0 सं0–10/कोर्ट–16–04/2008 843(10)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सुदेश कुमार लाल,
अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग,
बिहार, पटना ।

फैक्स
सगार–पत्र
न्यायालय मामला
सर्वोच्च प्राथमिकता

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर–सह अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति, समस्तीपुर ।
सिविल सर्जन,
समस्तीपुर ।

पटना, दिनांक– 8-8-12

विषयः– एल0पी0ए0 नं0–548/2008 राधेश्याम सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य ।
प्रसंगः– स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–611(10), दिनांक–13.08.2008

महाशय,

निदेशानुसार प्रसंगाधीन विषयक संदर्भ में एल0पी0ए0 नं0–548/2008 की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि संदर्भित मामले में अपर महाधिवक्ता संख्या–3, माननीय उच्च न्यायालय पटना से संपर्क कर प्रतिशपथ पत्र दायर किये जाने का अनुरोध पूर्व में किया जा चुका है, परन्तु आपके स्तर से प्रतिशपथ पत्र दायर करने की सूचना अभी तक स्वास्थ्य विभाग में अप्राप्त है ।

अनुरोध है कि कृपया प्रतिशपथ पत्र दायर करने की कार्रवाई शीघ्र कर उक्त प्रतिशपथ पत्र की प्रति स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नकः यथोपरि ।

विश्वासभाजन

08/8/12

(सुदेश कुमार लाल)
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 843(10)

दिनांक– 8-8-12

प्रतिलिपिः– नोडल पदाधिकारी–सह–अवर सचिव (प्रशाखा–13) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

08/8/12

अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग,बिहार, पटना ।

E/Dep-10. Ajay Kumar. Letter-1. d0c.